

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 / प्र.सं. 62 / 2024

दिनांक : 09 / 06 / 2025

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. कालूराम पिता हरिराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. नानीबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी नानूराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
3. मगनीराम पुत्र हरिराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
4. राखीबाई पुत्री भूरीबाई पत्नी किशनलाल खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर

बनाम

प्रार्थीगण

1. उदयराम पिता गंगाराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. देवीलाल पिता भूरा खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
3. राजू पिता शंकर खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
4. पप्पू पिता नानूराम भील निवासी पारी का खेड़ा तहसील भूपालसागर
5. मांगीलाल पिता मगरीराम खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर
6. देऊ पुत्री भैरूलाल पत्नी मांगीलाल खटीक निवासी इन्दोरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :-

62 / 2024

:: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी ::

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक, कांकरवा को 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम पारी के खाता सं. 73 की आ.सं. 2690 रकबा 0.55 है., आ.सं. 2691 रकबा 0.30 है., आ.सं. 2694 रकबा 0.53 है., आ.सं. 2700 रकबा 0.44 है., आ.सं. 2756 रकबा 0.11 है., आ.सं. 2763 रकबा 0.12 है., आ.सं. 2773 रकबा 0.47 है. आ.सं. 2774 रकबा 0.40 है., आ.सं. 2777 रकबा 0.28 है. भूमि की उभय पक्षकारान को जरिये सम्मन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों।




(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर